**राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ**

एकल न्यायाधीश आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 462/2021

विशाल कोचर पुत्र श्री हरीश कोचर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर ई-135, सेक्टर नंबर 21, जलयू विहार, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

**----याचिकाकर्ता/गैर-आवेदक**

**बनाम**

1. श्रीमती पुलकित साहनी पत्नी श्री विशाल कोचर पुत्री श्री सुभाष सैनी, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी 22/19/03 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)
2. कुमारी महक पुत्री श्री विशाल कोचर आयु लगभग 8 वर्ष- अपनी नैसर्गिक अभिभावक माता श्रीमती पुलकित साहनी (प्रतिवादी संख्या 1) निवासी 22/19/03, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से,

**----प्रत्यर्थीगण**

<u>निम्नलिखित से संबद्ध</u>

एकल न्यायाधीश आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 505/2021

1. श्रीमती पुलकित साहनी पत्नी श्री विशाल कोचर पुत्री श्री सुभाष सैनी, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी 22/19/03 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)।
2. बेबी महक पुत्री श्रीमती पुलकित साहनी और श्री विशाल कोचर, अपनी कानूनी अभिभावक मां श्रीमती पुलकित साहनी उम्र 37 वर्ष, निवासी 22/19/03 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

**----याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

विशाल कोचर पुत्र श्री हरीश कोचर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर ई-135, सेक्टर नंबर 21, जलयू विहार, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।

**----प्रत्यर्थी**

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री अश्विन गर्ग, अधिवक्ता।

प्रत्यार्थी (गण) की ओर से : श्री राम चंद्र शर्मा, अधिवक्ता।

---

**माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास**

आदेश सुरक्षित करने की तारीख : 28/03/2022

आदेश उच्चारित करने की तारीख : 22/04/2022

**रिपोर्टेबल**

**आदेश**

1. ये प्रति-आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं मामला सं. 1/20 में फैमिली कोर्ट नंबर 2, जयपुर द्वारा पारित 27.01.2021 के आदेश के खिलाफ धारा 397/401 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई हैं, जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लंबित आवेदन में अंतरिम रखरखाव की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्तागण-मूल आवेदकों श्रीमती पुलकित और बेबी महक-विशाल की पत्नी और बेटी ने अंतरिम गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाने के लिए इस आदेश को चुनौती दी है, जबकि, अन्य याचिकाकर्ता-मूल गैर-आवेदक विशाल ने आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है।

2. मामले के गुण-दोष में जाने से पहले, इन पुनरीक्षण याचिकाओं की विचारणीयता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है।

3. उपरोक्त बिंदु पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

4. यह तर्क दिया गया था कि आक्षेपित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है; हालांकि, विद्वान अधिवक्ताओं ने काफी हद तक स्वीकार किया कि इस बिंदु पर भी विपरीत दृष्टिकोण के निर्णय हैं।

5. सीआरपीसी की धारा 397 (2) में प्रावधान है कि सीआरपीसी की धारा 397 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति का उपयोग किसी भी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित मध्यस्थ आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यह निर्विवाद कानूनी स्थिति है कि एक पुनरीक्षण याचिका एक

मध्यस्थ आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है।

6. अब यह प्रश्न विचारणीय बना हुआ है कि क्या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पारित अंतरिम गुजारा भत्ता का आदेश एक वार्ताकारी आदेश है? नतीजतन, क्या उस आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है?

7. **वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य, एआईआर 1980 (एससी) 962** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीआरपीसी में **'अंतर्वती आदेश'** की प्रकृति के संबंध में पैरा संख्या 23 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

> "इस प्रकार, एक अंतर्वती आदेश के प्राकृतिक और तार्किक अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि एक आदेश जो कार्यवाही को समाप्त नहीं करता है या अंततः पक्षों के अधिकारों का फैसला नहीं करता है, वह केवल एक मध्यस्थ आदेश है। दूसरे शब्दों में, शब्द के सामान्य अर्थ में, एक मध्यस्थ आदेश वह है जो केवल एक विशेष पहलू या किसी विशेष मुद्दे या किसी विशेष मामले को किसी कार्यवाही, मुकदमे या परीक्षण में तय करता है, लेकिन जो परीक्षण को समाप्त नहीं करता है। यह परिणाम तब होगा यदि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य क़ानून का सहारा लिए बिना अंतर्वर्ती आदेश शब्द की व्याख्या अपने प्राकृतिक और तार्किक अर्थों में की जाती है। "कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सामान्य बोलचाल में वार्ताकारी आदेश का अर्थ लगाते हैं, तो यह ऊपर उल्लिखित विशेषताओं को इंगित करेगा, और अधिनियम की धारा 11 (1) में उपयोग किए जाने पर वार्ताकारी आदेश शब्द का यही अर्थ है।"

8. इसके अलावा**, मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र सरकार, (1977) 4 एससीसी 551** में प्रकाशित मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतर्वर्ती आदेश के मानदंड के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं-

> "आम तौर पर और सामान्यतः 'अंतर्वर्ती आदेश' शब्द को समझा गया है और इसका अर्थ 'अंतिम आदेश' शब्द के विपरीत के रूप में लिया गया है। हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियमों के तीसरे संस्करण के खंड 22 में पृष्ठ

742 पर, हालांकि, पैरा 1606 में यह कहा गया है:

".....एक निर्णय या आदेश एक उद्देश्य के लिए अंतिम हो सकता है और दूसरे के लिए अंतर्वर्ती हो सकता है, या भाग के रूप में अंतिम और भाग के रूप में अंतर्वर्ती हो सकता है। इसलिए दो शब्दों के अर्थ को उस विशेष उद्देश्य के संबंध में अलग से माना जाना चाहिए जिसके लिए इसकी आवश्यकता है।

पैरा 1607 में कहा गया है:-

"सामान्य तौर पर एक निर्णय या आदेश जो प्रश्न में मुख्य मामले को निर्धारित करता है, उसे "अंतिम" कहा जाता है।

पैरा 1608 में पृष्ठ 744 और 745 पर हम निम्नलिखित शब्द पाते हैं:-

"एक आदेश जो पक्षों के अंतिम अधिकारों से संबंधित नहीं है, लेकिन या तो (1) निर्णय से पहले किया जाता है, और विवाद में मामलों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं देता है, लेकिन केवल प्रक्रिया के मामले पर है, या (2) निर्णय के बाद किया जाता है, और केवल यह निर्देश देता है कि अंतिम निर्णय में पहले से दिए गए अधिकार की घोषणाओं पर कैसे काम किया जाए, इसे "अंतर्वर्ती" कहा जाता है। एक अंतर्वर्ती आदेश, जो हालांकि मुख्य विवाद का निर्णायक नहीं है, उस अधीनस्थ मामले के रूप में निर्णायक हो सकता है जिसके साथ यह संबंधित है।"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय की इन न्यायिक घोषणाओं के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यदि कोई आदेश लंबित कार्यवाही या मुकदमे में पारित किया जाता है और यह अंतिम रूप से कार्यवाही को समाप्त नहीं करता है और पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को अंतिम रूप से तय नहीं किया जाता है, तो उस आदेश को एक अंतर्वर्ती आदेश माना जाएगा।

10. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं ने **आमिर खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2019 (1) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) यूसी 645** में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और यह तर्क दिया है कि इस फैसले में यह माना गया था कि संशोधन अंतरिम रखरखाव के आदेश के

खिलाफ सुनवाई योग्य है। लेकिन यह निर्णय विभिन्न कानूनों पर आधारित है अर्थात घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (इसके बाद इसे **"2005 का अधिनियम"** कहा गया है)।

11. जहां तक 2005 के अधिनियम के प्रावधानों का संबंध है, अधिनियम की धारा 12 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति अधिनियम की धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत यानी रखरखाव की राहत सहित विभिन्न राहतों की मांग करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है। 2005 के अधिनियम की धारा 23 मजिस्ट्रेट को एक अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार देती है जो वह उसके समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही में उचित और उचित समझता है। अधिनियम की धारा 29 में इस अधिनियम के तहत पारित आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील का प्रावधान है और यह अंतरिम आदेश को इसके दायरे से बाहर नहीं करता है।

12. अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अंतरिम रखरखाव का आदेश अंतिम रूप से कार्यवाही को समाप्त नहीं करता है। मामला न्यायाधीन है और पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में, रखरखाव का अंतरिम आदेश अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति में है, फिर भी यह अधिनियम 2005 की धारा 29 के अनुसार अपील योग्य है। **आमिर खान बनाम राजस्थान सरकार और अन्य** (सुप्रा.) के मामले में, यह माना गया था कि इस तरह का अंतरिम आदेश 2005 के अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील योग्य है, और अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है। यह निर्णय विभिन्न प्रकार के कानूनों अर्थात अधिनियम 2005 पर आधारित है और यह अभियोक्ता आदेश के विरुद्ध संशोधन की विचारणीयता के प्रश्न से संबंधित नहीं है, अतः इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) के अंतर्गत पारित अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।

13. विद्वान अधिवक्ताओं ने **कविता व्यास बनाम** दीपक **दवे, 2018 (1) आरएलडब्ल्यू 97** में प्रकाशित मामले में इस अदालत की वृहद पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 (इसके बाद

**"1955 का अधिनियम"** के रूप में संदर्भित) के तहत पारित आदेश से संबंधित है। 1955 के अधिनियम की धारा 24 निम्नानुसार है:–

> "**24. भरण-पोषण और कार्यवाही का खर्च:-** जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि या तो पत्नी या पति के पास, जैसा भी मामला हो, उसके या उसके समर्थन और कार्यवाही के आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो वह पत्नी या पति के आवेदन पर, प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को कार्यवाही के खर्च, और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो याचिकाकर्ता की अपनी आय और प्रत्यर्थी की आय को ध्यान में रखते हुए, अदालत को उचित प्रतीत हो।
>
> परन्तु कार्यवाही के व्यय और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के भुगतान, जैसा भी मामला हो, के लिए आवेदन का निपटान, जहां तक संभव हो, पत्नी या पति को नोटिस दिए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।"

14. **कविता व्यास बनाम दीपक दवे (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की वृहद पीठ ने पैरा संख्या 23 में संदर्भ का उत्तर देते हुए कहा कि:

> 23. "तदनुसार, हम यह घोषणा करके संदर्भ का जवाब देते हैं कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने आरएलडब्ल्यू 2011 (2) राज. 1615 अजय मलिक बनाम श्रीमती शशि के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में सही दृष्टिकोण निर्धारित नहीं किया है। संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत अपील की जाएगी।"

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि अधिनियम 1955 के तहत कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, तो ऐसी कार्यवाही में कोई भी पक्ष अधिनियम की धारा 24 के तहत एक अलग आवेदन दायर कर सकता है और पति या पत्नी, जिनके पास रहने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और कार्यवाही के लिए आवश्यक खर्च

नहीं है, दूसरे पक्ष से भरण-पोषण के लिए दावा कर सकता है। अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत आवेदन एक स्वतंत्र/अलग कार्यवाही है और ऐसी कार्यवाही के तहत पारित आदेश उनकी अंतिमता में पक्षों के अधिकारों का फैसला करता है। इस तरह के आदेश के बाद, धारा 24 के तहत दायर आवेदन में कोई कार्यवाही लंबित नहीं रहती है। इसलिए, उपरोक्त वर्णित मानदंड के आधार पर, ऐसा आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, बल्कि एक अंतिम आदेश है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 1955 के अधिनियम की धारा 19 केवल अंतिम आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देती है, और अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील या संशोधन पर रोक लगाती है। इसलिए, 1955 के अधिनियम की धारा 24 के विशिष्ट इरादे और भावना को देखते हुए, उपरोक्त निर्णय का कोई औचित्य नहीं है।

16. अधिवक्ताओं ने **सुमेरचंद बनाम संधुरन रानी और अन्य, 1987 के सीआर.एल.जी. 1396 में प्रकाशित, सुनील कुमार सभरवाल बनाम नीलम सभरवाल, 1991 के सीआर.एल.जी. 2056** में प्रकाशित मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयों पर और **आशु धीमन बनाम श्रीमती ज्योति धीमन,** सीआरपीसी विविध आवेदन (सी-482) संख्या 434/2018 के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15.11.18 के आदेश पर भरोसा करते हुए यह कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों के तहत अंतरिम रखरखाव के लिए पारित आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, इसलिए, इस तरह के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है।

17. **पारस देवी बनाम सुरेश चंद, 2012 (17) आरसीआर (आपराधिक) 554** में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण में पारित सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जहां अंतरिम गुजारा भत्ता की राशि 2000 रुपये प्रति माह से घटाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। अंतरिम गुजारा भत्ता के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका की विचारणीयता के मुद्दे को न तो चुनौती दी गई और न ही इस पर फैसला किया गया।

18. **अनु बनाम रतन लाल शर्मा, आरएलआर 1993 (1) 125 में प्रकाशित** मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष इसी तरह का प्रश्न उठा, जिसमें यह कहा गया था कि **सीआरपीसी की धारा 125** के तहत लंबित कार्यवाही में पारित एक अंतरिम रखरखाव आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:-

> "सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में रखरखाव भत्ते का एक अंतरिम आदेश प्रकृति में अंतरिम है, इस तरह के अंतरिम आदेश से पक्षों के अधिकारों और देनदारियों पर फैसला नहीं किया जाता है। इस तरह की राहत का उद्देश्य पत्नी, बच्चों या माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करना है, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और पति, पिता और बेटे/बेटी पर निर्भर हैं, जैसा भी मामला हो। उनका प्राथमिक उद्देश्य भुखमरी और आवारापन को रोकना है। यह सामाजिक न्याय का एक उपाय है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके इस नैतिक और कानूनी दायित्व को निभाने के लिए विवश करना है कि वह अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों के संबंध में समाज के प्रति उत्तरदायी है ताकि वे समाज के कचरे के ढेर में शामिल होते हुए भिखारी और बेसहारा न रह जाएं और इस तरह अपने निर्वाह के लिए आवारापन और अनैतिकता और अपराध के जीवन के लिए प्रेरित न हों। नाबालिग बच्चों की देखभाल पिता द्वारा की जानी है। यह एक पिता का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह अपने नाबालिग बच्चों के लिए पर्याप्त रखरखाव प्रदान करे ताकि उनके पास उचित भोजन, कपड़े और स्कूली शिक्षा हो सके। इसलिए, उनके भरण-पोषण के लिए भत्तों का एक अंतरिम आदेश आवश्यक है और अब सावित्री बनाम गोविंद सिंह: 1986 डी.एम.सी. मामले में देश के उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक फैसले के बाद इसकी अनुमति दी गई है।
>
> 1. हमारा दृढ़ मत है कि अंतरिम भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने वाला कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर एक अंतर्वर्ती आदेश है। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त वाक्यांश स्वरूप स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी

अपील किसी भी निर्णय या आदेश से नहीं होगी जो एक अंतर्वर्ती आदेश है। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील के प्रावधान कठोर हैं और इसमें गैर-बाध्यकारी खंड शामिल किए गए हैं। **यहां तक कि अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ संशोधन पर भी रोक है।** विधायिका ने वैवाहिक मामलों को यथाशीघ्र निपटाने की दृष्टि से अपने विवेक से धारा 19 को सोच-समझकर अधिनियमित किया। धारा 19 (1) की सरल और स्पष्ट भाषा किसी अन्य व्याख्या को स्वीकार नहीं करती है। नाबालिग बच्चों की ओर से पेश हुए वकील श्री एलआर मेहता इस स्थिति का सामना करते हुए निष्पक्ष और सही तरीके से स्वीकारते हैं कि अंतरिम भरण-पोषण भत्ता देने के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं है। रतन लाल शर्मा भी विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई निर्णय हमारे संज्ञान में नहीं ला सके। इसलिए हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सभी वर्तमान अपीलें अधिनियम की धारा 19 के तहत सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि वे एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।

19. **छोटू सिंह बनाम बसंती (आरएलडब्ल्यू 2003 (1) 114) और अंशुल कुलश्रेष्ठ बनाम श्रीमती स्वर्णिमा और अन्य (आरएलडब्ल्यू 2019 (1) 610)** के मामलों में इस न्यायालय की समन्वय पीठों ने भी यह निर्णय किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पारित अंतरिम गुजारा भत्ता का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है। **अंशुल कुलश्रेष्ठ बनाम श्रीमती स्वर्णिमा और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में, जो उपरोक्त तर्क के साथ संगत है, निर्णय निम्नानुसार है:–

"13. विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचार हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का विचार है कि अंतरिम रखरखाव आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, जबकि कलकत्ता @ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का विचार है कि अंतरिम रखरखाव आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है लेकिन यह अदालत "**छोटू सिंह बनाम श्रीमती बसंती एवं अन्य (सुप्रा.) और नाबालिग अनु बनाम रतन लाल शर्मा" (सुप्रा.)** के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से बाध्य है जिसमें अंतरिम रखरखाव प्रदान

करना एक अंतर्वर्ती आदेश गया जाता है।

14. चूंकि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन का अंतिम निर्णय आने तक अंतरिम रखरखाव आदेश जारी रहता है और अंतरिम आवेदन का निर्णय पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को तय नहीं करता है, इसलिए इसे अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता है क्योंकि पक्षों को पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार दिया जा सकता है। इसलिए पुनरीक्षण याचिका विचार योग्य नहीं है।"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ **ने दाऊदी बोहरा समुदाय के केन्द्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 2 एससीसी 6736 में प्रकाशित** मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अधिक सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित कानून कम या सह-समान सदस्यों वाली किसी भी पीठ के लिए बाध्यकारी है। निम्न गणपूर्ति वाली पीठ अधिक गणपूर्ति वाली पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह नहीं कर सकती है। संदेह की स्थिति में निम्न गणपूर्ति वाली पीठ केवल इतना कर सकती है कि वह मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करे और मामले को उस पीठ की तुलना में अधिक गणपूर्ति वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखे जाने का अनुरोध करे, जिसका निर्णय विचार के लिए आया है। यह केवल सह-समान शक्ति वाली पीठ के लिए खुला होगा कि वह सह-समान गणपूर्ति वाली पिछली पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करते हुए अपनी राय व्यक्त करे, जिसके बाद मामले को एक ऐसी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जा सकता है, जिसमें निर्णय देने वाली पीठ से अधिक गणपूर्ति हो।

21. पूर्वोदाहरणों से जुड़ी विधियां कानून और उनके बाध्यकारी बल के बारे में उपर्युक्त कानूनी पूर्वाग्रहों के आलोक में, अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों में केवल प्रेरक बल होता है और बाध्यकारी बल नहीं होता है। **यह न्यायालय आरएलआर किए गए अनु बनाम रतनलाल, 1993 (1) 125 में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और अंशुल कुलश्रेष्ठ बनाम श्रीमती स्वर्णिमा, आरएलडब्ल्यू 2003 (1) 114 में प्रकाशित और छोटू सिंह बनाम बसंती देवी एवं अन्य, आरएलडब्ल्यू 2019 (1) 610 में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय की**

**समन्वय पीठ के निर्णयों से बाध्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लंबित आवेदन में पारित अंतरिम रखरखाव का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है।**

22. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) और (4) में प्रावधान है कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ कोई अपील या संशोधन नहीं किया जा सकेगा। दिनांक 27.01.2021 का आक्षेपित आदेश परिवार न्यायालय सं. 2, जयपुर द्वारा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत सशक्त किया गया है, इसलिए ऐसी पुनरीक्षण याचिकाएं इन प्रावधानों के प्रकाश में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं।

23. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी भी परिवार न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पारित अंतरिम रखरखाव का आदेश केवल अंतिम आदेश तक प्रभावी रहता है और अंतिम रूप से पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को तय नहीं करता है।

24. उपरोक्त चर्चा और स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम रखरखाव के संबंध में दिनांक 27.01.2021 का आक्षेपित आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है, इसलिए दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं सीआरपीसी की धारा 397/401 या परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत सुनवाई योग्य नहीं हैं, तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

25. सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी एतद्द्वारा निपटान किया जाता है।

26. इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध फ़ाइल में रखी जाए।

**(उमा शंकर व्यास), न्यायमूर्ति)**

Danish Usmani/31 & 32

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।